प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 91/2025)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण **(भादूविप्रा)**

वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को मासिक और त्रैमासिक आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश।

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) यानी डीटीएच ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ), हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) ऑपरेटरों को मासिक और त्रैमासिक आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है।

2. प्राधिकरण ने इससे पहले 24 जुलाई, 2008 के अपने आदेश में डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों को तिमाही प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (क्यू-पीएमआर) प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसके बाद, जून 2019 में, भादूविप्रा ने प्रारूपों में संशोधन किया और इनमें डीटीएच ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों को भी शामिल करते हुए इन्हे इस मामले से संबंधित रिपोर्टिंग करने का आदेश दिया गया ।

3. प्रशुल्क आदेश अंतर संयोजन विनियमन और सेवा की गुणवत्ता विनियमन सहित विनियामक ढांचे में अधिसूचित संशोधनों के मद्देनजर भादूविप्रा ने अब रिपोर्ट करने हेतु प्रारूपों को अद्यतन कर दिया है। इन प्रारूपों को सभी डीपीओ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान आदेश के साथ संलग्न किया गया है।

4. तदनुसार, सभी डी.पी.ओ. को भादूविप्रा को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:

(i) प्रत्येक महीने की समाप्ति के पश्चात दस दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -I) में मासिक प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (एम-पीएमआर); और

(ii) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात पंद्रह दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -II) में त्रैमासिक प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (क्यू-पीएमआर) ।

5. तिमाही प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट उन डीपीओ के लिए वैकल्पिक होगी, जिनका सक्रिय ग्राहक आधार पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तीस हजार से अधिक नहीं है।

6. इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का उद्देश्य, अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना तथा प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि को सुगम बनाना है।

7. आदेश की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अभय शंकर वर्मा, प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस) से ईमेल: pradvbcs@trai.gov.in या दूरभाष: +91-11-20907748 पर संपर्क किया जा सकता है।

-sd-
(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भा.दू.वि.प्रा.